Title: Need to develop certain places in Mandsaur district, Madhya Pradesh, as tourist resort.-Laid

MR. SPEAKER: Hon. Members, the House has other important business listed in today's list of business. If the House agrees, Matters under Rule 377 may be treated as laid on the Table of the House.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

17.46

डॉ. लक्षमीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): महोदय, पर्यटन विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश के कितपय ऐतिहासिक व पुरातत्वीय महत्व के स्थानों को जो शताब्दियों से जनसाधारण के श्रद्धा व आकर्षण के केन्द्र हैं, पर्यटन स्थल घोषित करते हुए उन्हें केन्द्र द्वारा विकिसत किये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने हेतु मेरा केन्द्रीय पर्यटन मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन स्थलों में मंदसौर का 'सौंधनी स्तम्भ', श्री पशुपितनाथ मंदिर, धर्मराजेश्वर, श्री यादवा माता मंदिर एवं श्री परासली तीर्थ को सिम्मिलित किया जावे।

\* Treated as laid on the Table of the House